

१-५-२२ वादी मय वकील अनुपास्थित।  
प्रतिवादीगण अनुपास्थित। वादी एवं वकील  
वादी बात तारीख पेशी पर भी अनु-  
पास्थित थे। वादी मय वकील को  
बार-बार आवाज दी गई, बावजूद  
आवाज देने पर भी वादी मय वकील  
अनुपास्थित। अतः वाद वादी विरुद्ध  
प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा ८८, ८९, १८८  
९२० RTA अधिनियम द्वारा, अधिनियम  
में श्वारीज किया जाता है। पञ्जावली  
फैसल शूमार वेकर नम्बर से कमवे,  
दाखिल दफ्तर थे।



सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) राजी